



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2011/वैशाख 8, 1933  
No. 87] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2011/VAISHAKHA 8, 1933

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

सं. एपीडा/प्रशासन/आरईसी/25/2011.—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में समूह क, ख, ग, और घ के पदों पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

### 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) संशोधित 2011 विनियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2 प्रारंभिक संगठन

सभी वर्तमान नियमित अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको इन विनियमों के तहत नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और नियमित आधार पर उनकी सेवा की परिवीक्षा, पुष्टि और प्रोन्नति के प्रायोजनों के लिए गिनती में लिया जाएगा।

### 3 परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) “अधिनियम” से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;
- (ii) “नियुक्ति” के अंतर्गत सीधी भर्ती, प्रोन्नति द्वारा और किसी अन्य विहित माध्यम से नियुक्ति अभिप्रेत है;

- (iii) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एपीडा के अध्यक्ष
- (iv) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

### **“नियुक्ति प्राप्तिकारी”**

- (i) महाप्रबंधक के स्तर तक सभी पद जिनके ग्रेड वेतन 7600/- रु से अधिक न हो—अध्यक्ष
- (ii) निदेशक—अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से
- (iii) सचिव—अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से
- (iv) “विभागीय अभ्यर्थी”

प्राधिकरण के सभी ऐसे कर्मचारी जो प्रोन्नति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी हैं;

- (v) “विभागीय प्रोन्नति समिति” या “डी.पी.सी.” से उन कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए जिन्होंने अपेक्षित वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हैं, मामलों पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है। डी.पी.सी. का गठन अनुसूची में प्रत्येक पद के स्तंभ 14 में इंगित रूप में होगा।

“प्रतिनियुक्ति” से केंद्रीय / राज्य सरकारों / पब्लिक सेक्टर के उपकरणों / स्वशासी निकायों के कर्मचारियों की सेवाएं उधार लेना अभिप्रेत है;

- (vi) “सीधी भर्ती” से नियोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों की मांग करके / विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके / प्राधिकरण के पात्र कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार करके भर्ती अभिप्रेत है:

परंतु जहाँ कहीं अध्यक्ष द्वारा भर्ती प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक समझा जाए, वहाँ लिखित परीक्षा विहित की जा सकेगी। प्राधिकरण के कर्मचारियों को, यदि भर्ती किए जाते हैं तो भर्ती के प्रयोजनों के लिए सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी समझा जाएगा और वे पिछली सेवा की गणना करने के संबंध में केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होंगे।

- (vii) “कर्मचारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियमित पद धारण कर रहा है और संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कोई भी पद धारण कर रहा है।
- (viii) “सरकार” से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (ix) “वेतन” से मूल नियम और पूरक नियम में यथापरिमाणित वेतन अभिप्रेत है;
- (x) “अनुसूची” से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (xi) “सेवा” से प्राधिकरण में सेवा अभिप्रेत है;
- (xii) “विनियम” अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
- (xiii) “नियम” से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1986 एवं किसी प्रकार का अन्य नियम जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए से अभिप्रेत हैं;

#### **4 लागू होना**

ये विनियम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसूची में स्तंभ 1 में वर्णित प्राधिकरण के सभी पदों को लागू होंगे।

#### **5 वेतनमान, अर्हताएं, भर्ती का तरीका**

सेवा में विभिन्न पदों के वेतनमान, उक्त पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं और भर्ती का तरीका वह होगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

### 6 कृतिपय प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत आरक्षण, शिथिलता आदि

इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलताओं और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

### 7 नियुक्ति करने की शक्ति:

- (1) अध्यक्ष, निदेशक और सचिव के सिवाय सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी।
- (2) अध्यक्ष अतिआवश्यक भासलों में और कार्य की अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए किसी रिक्ति में, चयन समिति द्वारा चयन किए बिना, तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए सशक्त होगा यदि ऐसी रिक्ति ऐसे पद में है जिसका वेतनमान ऐसा है जिसका ग्रेड वेतन रु 7600/- प्रति माह से अधिक नहीं है और ऐसी नियुक्तियां एक समय में नबे दिन से अधिक अवधि के लिए या कुल मिलाकर एक वर्ष के लिए अथवा उस समय तक के लिए होगी जब ऐसे पद पर नियुक्त या प्रोन्ति इन नियमों के अनुसार कर दी जाती है, जो भी पूर्वतः हों।

### 8 शिथिलीकरण

जहाँ अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किस जाएंगे, समूह घ, ग, और ख प्रवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के उपबंधों में से किसी में छूट दे सकेगा। तथापि, समूह क के पदों के लिए इन नियमों के उपबंधों में कोई भी छूट सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही जाएगी।

### 9. अयोग्यता

#### कोई भी व्यक्ति

क. जो एक पति या पत्नी के जीवित होने के साथ, एक व्यक्ति के साथ शादी के अनुबंध में प्रवेश किया है।

ख. जो एक पति या पत्नी के जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अनुबंध में प्रवेश किया है, किसी भी पदों की नियुक्ति के पात्र होंगे यदि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है, अगर संतुष्ट है कि इस तरह की शादी, ऐसे व्यक्ति अथवा पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति दी जाती है और इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए अन्य कारण उपलब्ध हो।

ग. जो किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए देश के कानून के किसी न्यायालय द्वारा दंडित हो जो अन्यथा नियमों के तहत किसी भी सरकारी सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए रोक लिया गया हो।

### 10. व्याख्या

प्रस्तावित - यदि इन नियमों के व्याख्या हेतु किसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, यह केन्द्र सरकार को फैसले के लिए भेजा जाएगा।

### 11. निरसन

प्रस्तावित - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भर्ती नियम, 2001, जी एस पी - 119 के तहत विनांक 04.05.2001 को अधिसूचित, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुमती  
पद - 1

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवैयन पद	सीधे भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदोय है या नहीं	सीधे भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक	1	समूह 'क'	रु. 37400-67000 ग्रेड वेतन रु. 8700	चयन पद	50 वर्ष से कम	लग्न नहीं	आवश्यक:

- विज्ञान, वाणिज्य या व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री
- विशिष्ट कार्यकारी स्तर पर कम से कम 15 वर्षों का अनुमत जिसमें से कम से कम दस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजार के विकास के क्षेत्र में विशेषतः कृषि संबंधी क्षेत्रों में अनुभव
- विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान
- कम्युटरों में कार्य करने का ज्ञान

वाचनीय:

डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, व्यापारव्यापार विकास एवं प्रबंधन में डिग्री या डिलेमा ।

# आयु सीमा अवधासि करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अन्यांशीयों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षदीप के अन्यांशीयों से भिन्न) से आरेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दसा में, आयुसीमा अवधासि करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शौक्षिक अवधारं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लाए होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	संघ समाई प्रान्ति समिति है। तो उसकी संख्या
9	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती होता	सचिव/महाप्रबंधक के पद पर कम से कम 7 वर्षों का नियमित अनुभव ।
10		11	लागू नहीं
12		13	लागू नहीं
14			1. संयुक्त सचिव, यांत्रिक विभाग, बाणीज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो ईपी (ईपी) विभाग का कार्यालय समावल रहे हैं एवं इस समिति के अध्यक्ष हैं । 2. अध्यक्ष, एपिडा 3. प्राधिकरण के दो सदस्य 4. को-क्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुशूली  
पद -2

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्णकरण	देतनामान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकारी शैक्षिक और अन्य अहतार	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकारी शैक्षिक और अन्य अहतार
1	2	3	4	5	6	7
महाप्रबंधक	03	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड देतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं

वाइज्ञानिक:

1. कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्पी
2. कैरोटिया/एज्यू सरकार/स्थायता/सार्विक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव
3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान

वाइज्ञानिक:

1. कृषि, डेवरी, विज्ञान, भास्स विज्ञान, बाणीवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं ऐकेजिंग में डिप्पी या डिलोग्यो सीएएआई, सी.डब्ल्यू.एसी एस संस्था में सदस्यता
2. कृषि उपजों एवं उसके उत्पादों का ज्ञान
3. आवात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान
4. कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में अधिकारी (अदम्यान और निकायार्थी के अधिकारी से मिल) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पर्द -2

सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अयु और शौकिक उर्वराएं ग्रेन्ट व्यक्तियों की दशा में लागू होनी चाही नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में तो शोधियों जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में तो सेवा आयोग से परमार्थ संघ लोक सेवा आयोग से यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उसकी सहचरा
9	प्रोन्टि के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हीं ।	एक वर्ष प्रोन्टि जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति विस्तके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
10	एक वर्ष	उच्च महाप्रबंधक के पद पर कम से कम 7 वर्षों का नियमित अनुबंध ।
11	एक वर्ष प्रतिनियुक्ति का समाप्त वर्ष पदों के व्यक्ति अवधि	प्रतिनियुक्ति का समाप्त वर्ष पदों के व्यक्ति अवधि
12	एक वर्ष	लागू नहीं
13	एक वर्ष	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के बोर्ड के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसंचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआई 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्त्त के उपयुक्त स्तर के अधिकारी
14	एक वर्ष	टिप्पणी: प्रोन्टि के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति की आंशिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**अनुमति**  
पद -2 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7
महाप्रबंधक (आई पी आर डब्ल्यू टी और अवसरयना)	01	समूह 'क'	₹. 155600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं

सांख्यिकी:

- कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान
- आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान
- आई पी आरएडब्ल्यू टी और संबंधी विषयों का ज्ञान
- कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख भारत में अन्याधियों (अंदमान और निकोबार दीप और लख्नऊप के अन्याधियों से शिन्नी) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अद्वितीय तारीख होती। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख वह अंतिम तारीख होती जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया।

## पद -2 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण और शौकिक अहंताएं प्रो-न्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रो-न्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में दे शोणियों द्वारा भर्ती की दशा में दे शोणियों द्वारा भर्ती की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भर्ती की पद्धतियों द्वारा भर्ती की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श प्रदान की जाने वाले पदों की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श प्रदान की जाने वाले पदों की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
प्रो-न्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।	एक वर्ष	सीधे भर्ती लियसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा को) समतुल्य पदों के बाबिल अवधि	सीधे भर्ती लियसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा को) समतुल्य पदों के बाबिल अवधि	लागू नहीं	लागू नहीं
9	10	च) ₹ 6600 शेड टेलर सहित पदाधिकारी जिनको संबंधित केन में नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो ।	च) ₹ 6600 शेड टेलर सहित पदाधिकारी जिनको संबंधित केन में नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं	लागू नहीं
	11	दिएः प्रो-न्नति के प्रत्यक्ष कम में आनेवाले अधिकारीय प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	दिएः प्रो-न्नति के प्रत्यक्ष कम में आनेवाले अधिकारीय प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	13	14

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साथानांतरण तीव्र रूप से अधिक नहीं होगी ।

अनुमोदी  
पद -3

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतमान	चयन पद अधिकार अवधान पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहतां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहतां
1	2	3	4	5	6	7
संचिव	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड तेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक हो	लागू नहीं

## आवश्यक:

1. व्यावसायिक प्रशासन में स्थातकोत्तर लिंगी
2. केन्द्रीय राज्य सरकार एस्टेटटर/  
सातिशिक निकायों में इससे एक स्तर  
न्यून पद पर प्रशासन/लेखा/प्रिवेटकानूनी  
एवं बाजार संबंधी भागलों पर कार्य करते  
हुए नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों  
का अनुभव।

## संघर्छनीय:

1. आसीय कम्पनी सचिव तंत्रज्ञान की  
संक्षिप्तता
2. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का  
संपूर्ण ज्ञान
3. कम्पनीों में कार्य करने का ज्ञान
4. कानून में जिम्मी

# असु यीम अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अधिकारी (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अधिकारीयों से बिना) से आदेतन प्राप्त करने के लिए नियम लाइस तारीख होगी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीम अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -3

सीधे भर्ती किए जाने याने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शौकिक अवधियां प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में ताकू होनी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे शोषण्यां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद्धति की प्रतिस्थिता	संघ लोक सेवा आयोग से परमार्थ	यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उसकी संस्थाना
9	10	एक वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर तीव्री भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति का समतुल्य बद्दे के व्यक्ति अथवा इ) रु 6600 प्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव	उप महाप्रबंधक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव ।
सीधे भर्ती के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति/सेवा के लिये हैं ।			टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष कम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	1. समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष 2. अधिकारी के दो सदस्य 3. निदेशक/उपनियोग वाणिज्य विभाग, वाणिज्य द्वारा उद्योग मन्त्रालय 4. निदेशक, एपीज 5. कन्द्रीय संस्कार के असंस्कृत प्रवर्ग के उपयुक्त सदस्य के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साथारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुमति  
पद-4

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनामान	बचतन पद अथवा अधिकार पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा के लिए सिविल सेवा (प्रेशन) नियम 1972 के लियम 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहतारं लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहतारं
1 उप-महाप्रबंधक	07	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड देतन रु. 6600	बचतन पद	45 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं

## वास्तविक:

- कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री केरियर/राज्य सरकार/स्थायी/सातीशिक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रशंसकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव
- विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान
- कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान

## आवश्यक:

- कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री केरियर/राज्य सरकार/स्थायी/सातीशिक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रशंसकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव
- विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान
- कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान

# अग्रु दीप अवधारित करने के लिए नियमित तारीख भवत में अवधियों (अंकान और निकोबार दीप और लकडीप के अवधियों से खिल) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अनियम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कोई जाने वाली चर्चा/निशुल्क की दस्ता में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियांक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

संक्षिप्त भर्ती क्रिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अधू और शाहिक अवृत्ताएं प्रोन्ट व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्टिप्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे शोणियों निनसे प्रोन्टिप्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिवता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विशालीय प्रैन्टित साक्षित है, तो उसकी सरचना
9	प्रोन्टिके लिए नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।	एक कम	5. चढ़ प्रैन्टित द्वारा 2. एक सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण	संघायक महाप्रबधक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्ष का अनुबंध ।	लागू नहीं	1. संक्षिप्त का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपनियोग वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपचुन्त स्तर के अधिकारी
10		11			12	13
14						

अनुमूली  
पद -4 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	बयान पद अथवा अवधान पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञा है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
उप महाप्रबंधक (आई. पी. आर. डब्लू. टी. ओ. टी. बी. टी.)	01	समृद्ध 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड रेटन रु. 6600	बयान पद	45 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक:
	1	2	3	4	5	6	7
							8

वांछनीय:

1. कृषि विज्ञान एवं उत्सके उत्पादों का ज्ञान
2. आयात एवं नियात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान
3. अर्थीआरडब्ल्यूटीओ/टी.पी.टी. संबंधी विषयों का ज्ञान

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख शास्त्र में अध्यार्थियों (अद्यान और निकोबार दीप और लालदीप के अध्यार्थियों से छिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अद्यान तारीख होती है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख वह अंतिम तारीख होती है जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए काफ़ा गया है।

## पद - 4 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शौकिक अवधियां प्रोन्नत्या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों क्षण भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	संघ लोक सेवा आयोग से यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उसकी संस्थाना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्रधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एण्ड्रिय 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिए होती। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।

**अनुसूची**  
पद - 4 (ख)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतनमान	चयन पद अथवा अवधान पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6
उप महाप्रबंधक (जैविक)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन पद	45 वर्ष से अधिक न हो
					लागू नहीं
					आवश्यक:
					1. प्रतिस्थित विशेषविद्यालय से कृषि/विज्ञान/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 2. कृषि/बागवानी/जैविक /ग्रामीण प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा 3. इससे एक स्तर न्यून पद पर केन्द्रीय/राज्य सरकारी/स्वायत्र/साविक विकाय में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव । 4. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 5. कम्प्यूटर में कार्य करने का ज्ञान
					वांछनीय:
					1. खाद्य डेपॉर्टमेंट विभान, नाम संचालन, बागवानी, बायोटर अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं एकोजिग में डिप्लोमा या डिप्लोमा

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अस्थायियों (अंतर्द्वारा और निकोबार दीप और लकड़ीप के अस्थायियों से मिल) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दसा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख होगी वह अंतिम तारीख वह अवधारित करने के लिए नियम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

## पद -4 (ख)

सीधे भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंतारं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ति की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ति की पद्धतियों द्वारा भर्ति की प्रतितता पद्धति की प्रतितता	संघ लोक सेवा आयोग से यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उसकी सरकार
		प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	11 एक वर्ष	सीधी भर्ति द्वारा विस्तके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति को समाप्त घोषित करने पर
प्रोन्नति की पद्धति वर्ष के लिए नहीं होनी चाहिए।	प्रोन्नति की अवधि एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	12 लागू नहीं	लागू नहीं
		प्रोन्नति के लिये नहीं होनी चाहिए।	13 लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष प्राधिकरण के दो सदस्य 2. केन्द्रीय सरकार के आविष्ट प्रबन्ध के अध्यक्ष स्तर के अधिकारी 3. विभाग, वायिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केन्द्रीय सरकार के आविष्ट प्रबन्ध के अध्यक्ष स्तर के अधिकारी।

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**अनुच्छेदी  
पद - 5**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनमान	चयन पद अधिकारा अवधान पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा (पैशांग) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुच्छेद है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक और अच्युत अर्हताएँ
सहायक महाप्रबंधक	09	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड बेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक हो	लागू नहीं

**आवश्यक:**

- विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान
- कानून (एवं एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई
- खाद्य डेवर्सी विज्ञान/शांसा विज्ञान, वायवानी, वाज्ञा अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं पैकेजिंग में डिग्री या डिलोग्रा. सीए/आईसीडब्ल्यूएसीएस संस्था में सदस्यता
- कंपनी सेक्रेटरीशिप में डिग्री या डिप्लोमा

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अन्यर्थीयों (अद्वान और निकोबार दीप और तासदीप के अन्यर्थीयों से भिन्न) से आवदन प्राप्त करने के लिए नियम गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख वह अतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

## पद -5

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधियां प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लगू होंगी या नहीं</p> <p><b>9</b></p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p> <p><b>10</b></p>	<p>प्रोन्नति में वे श्रोतियों जिनसे प्रेन्नति भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p> <p><b>11</b></p>	<p>प्रेन्नति में वे श्रोतियों जिनसे प्रेन्नति भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p> <p><b>12</b></p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त प्रेन्नति किया जाएगा</p> <p><b>13</b></p>	<p>प्रेन्नति से जिनसे प्रेन्नति भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p> <p><b>14</b></p>
<p>प्रेन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।</p> <p><b>9</b></p>	<p>एक वर्ष</p> <p><b>10</b></p>	<p>8 पद पदोन्नति द्वारा</p> <p>1 पद सीधी भर्ती विसरके न हो</p> <p>सकाने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति का सम्मुख पदोन्नति व्यक्ति का व्यक्ति सम्मुख पदोन्नति व्यक्ति का व्यक्ति अवधिकारी, विशेष कार्यपालक, लेखालाल, कार्यपालक अवधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव</p> <p>घ) रु 4800 ग्रेड बेतन सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव एवं रु 4600 ग्रेड बेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव एवं रुपये 4200 ग्रेड बेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव</p>	<p>1. लेखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं फील्ड अधिकारी, विशेष कार्यपालक, लेखालाल, कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव</p> <p>1 पद सीधी भर्ती विसरके न हो सकाने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति का सम्मुख पदोन्नति व्यक्ति का व्यक्ति अवधिकारी, विशेष कार्यपालक, लेखालाल, कार्यपालक अवधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव</p> <p>1. लेखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं फील्ड अधिकारी, विशेष कार्यपालक, लेखालाल, कार्यपालक अवधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव</p> <p>2. प्राविकरण के दो सदस्य</p> <p>3. निदेशक/उपसचिव विशेष विभाग, विभिन्न एवं उद्दोग भंगालय</p> <p>4. निदेशक, एपीडा</p> <p>5. केन्द्रीय सरकार के आवृत्ति प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>	<p>लगू नहीं</p> <p><b>13</b></p>	<p>लगू नहीं</p> <p><b>14</b></p>

प्रतिनियुक्ति अवधि स्थानांतरण की आंतरिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की दूसरी अवधि स्थानांतरण दीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त कॉलम 12 की टिप्पणी: इस पद पर पदोन्नति पर अथवा पदोन्नति से पहले एपीडा के मुख्यात्मक कार्य अनुभव के लिए एपीडा द्वारा कार्याकारी निदेश जारी किया जायेगा।

अनुशंसा  
पद -5 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अधिवा अध्ययन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पैशान) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुद्देश है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक बागवानी (जीविक)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लगू नहीं	<p><b>आवश्यक:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि/बागवानी/व्यावसायिक प्रबंधन में स्थानकोत्तर डिग्री (संवित्र शेत्र में कृषि/बागवानी/ जीविक प्रबंधन प्रतिच्छित विश्वविद्यालय से) एवं सर्वेचित शेत्र में 5 वर्षों का अनुभव।</li> <li>परिवेशक के स्तर पर नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/व्यापार/सावित्रिक निकाय/नियंत्री संसाधनों में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव।</li> </ol> <p><b>वास्तुभवित:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान</li> <li>कम्प्यूटर में कार्य करने का ज्ञान</li> </ol>

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियन्यक तारीख भारत में अधिवियों (अंकान और निकोबार दीप और लकड़ीप के अधिवियों से मिल) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होती है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दसा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियन्यक तारीख वह अंतिम तारीख होती है जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

## पद -5 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शौकिक अहंताएं प्रोन्त्रव्यक्तियों की दशा में लागू होना। या नहीं।	प्रतिरक्षा की अवधि, यहि कोई हो। प्रोन्त्रव्यक्ति के लिये है।	प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की पक्षीतये द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया जिनसे प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	भर्ती की पक्षीतये द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया जिनसे प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से	संघ लोक सेवा आयोग से	यदि विभागीय प्रोन्त्रति समिति है तो उसकी संचाचा
		प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्त्रिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/एप्पसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एप्पिळ 5. को-क्रिय सरकार के आविष्ट प्रबर्ग के उपचुन्न स्तर के आधिकारी
प्रोन्त्रति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये है।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समनुच्छ पदों के व्यक्ति अथवा छ) संबंधित केन्द्र में ₹ 5400 ग्रेड रेटन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुच्छ टिप्पणी: प्रोन्त्रति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समनुच्छ पदों के व्यक्ति अथवा छ) संबंधित केन्द्र में ₹ 5400 ग्रेड रेटन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुच्छ टिप्पणी: प्रोन्त्रति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/एप्पसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एप्पिळ 5. को-क्रिय सरकार के आविष्ट प्रबर्ग के उपचुन्न स्तर के आधिकारी
	10	11	12	13	14	

प्रतिनियुक्ति की आंशिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साताशतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुमोदी  
पद -5 (ब)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवनागर	चयन पद अधिकार	चयन पद अधिकार	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ
सहायक महाप्रबंधक (पशुपालन एवं पशुविकल्प)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड रेटन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	लागू नहीं

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार दीप और लकड़ीप के अस्थायियों से बिल) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख होगी ।

## पद -5 (ख)

9	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	परिवेश की अवधि, यहि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे शोधियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किस्म जाएगा	भर्ती की पद्धतियाँ द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतितता	सघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त समिति द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतितता	शहि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उसकी सरचना
10	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति का शेष द्वारा जिसके न हो सकने पर	लागू नहीं	लागू नहीं
11	प्रतिनियुक्ति	क) सम्पुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में ल 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुबंध	प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर	12	13
12	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रतिनियुक्ति के लिये नहीं द्वारा जिसके न हो सकने पर	14	14

प्रतिनियुक्ति की आंशिक अवधि एक वर्ष के लिए होती। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।

अनुमती  
पद - ५ (ग)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवधान पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिद्धान्त सेवा (एशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं
सहायक महाप्रबंधक (खाद्य प्रौद्योगिकी)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपु भीमा काविता के लिए आपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ लिए जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, अनुमती अवधारित करने के लिए निर्णायक लाइसेंस वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम देजने के लिए काला नामा

बांकीय:

- खाद्य प्रौद्योगिकी के विषय में खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्री एवं संबोधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव/नियमित सेवा।
- खाद्य प्रौद्योगिकी के विषय में टेक्नालोजिक डिप्री एवं नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वाचार/  
सांविधिक निकाय /नियंत्री संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव।

# आपु भीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक लाइसेंस भारत में अन्यथियों से भिन्न। से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, अनुमती अवधारित करने के लिए निर्णायक लाइसेंस वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम देजने के लिए काला नामा है ।



पद का नाम	पदों की संख्या	वार्ताकरण	देवतनभान	चयन पद अधिकारी अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा के द्वारा नियमित विविध सेवा (ऐचन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञा है या नहीं	सोबते भर्ती भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा के द्वारा नियमित विविध सेवा (ऐचन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञा है या नहीं	आवश्यक:
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (वनस्पति विद्युति विज्ञान)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड देवतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक:
							1. कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्री एवं वनस्पति विद्युति विज्ञान विषय में विशेषज्ञता सहित ।  अथवा  2. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, बागवानी एवं ग्रामीण प्रबंधन में व्यावसायिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्री । 3. विद्यमित सेवा में केन्द्रीय/युवा व सरकारीस्थावर/साधिक निकाय नियोजी संस्थान में कम से कम 7 वर्ष का अनुबंध

# आप सूझा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अस्थायिकों से भिन्न है। अद्वान प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होती है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होती है। जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती विषय जाने वाले व्यक्तियों के लिए विविध अनुभव और शोषिक अहंताएँ प्रोन्नत या नहीं होते।	परिसीधा की अवधि, यदि कोई प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे शोषियों विनाश की प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिवर्ती पदों की प्रतिवर्ती	सभ लोक सेवा आयोग से प्रमाणीकृत सभ लोक सेवा आयोग से प्रमाणीकृत	यदि विभागीय प्रोन्नति सम्भव है, तो उसकी संरचना
9	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	11	12
10	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	सीधी भर्ती द्वारा विसर्कने न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	लागू नहीं	लागू नहीं
11		प्रतिनियुक्ति का सम्बुद्ध पदों के व्यक्ति अवधि	क) सम्बुद्ध पदों के व्यक्ति अवधि	1. संकेति का अवधि-नामकरण 2. अधिकारक के दो सदस्य 3. नियन्त्रक व्यक्ति विवर विकास व्यक्ति एवं उद्योग विकास व्यक्ति 4. नियन्त्रक व्यक्ति 5. कोन्वेन्य सरकार के आरक्षित प्रबन्ध के उपयुक्त स्तर के व्यविधियाँ
12		लगभग 4800 वर्षों वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुपव		
13				टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रस्ताव क्रम में जानेवाले व्यविधियाँ प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगी।
14				

**अनुचित  
पद - 5 (इ)**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतान्मान	चयन पद अधिकार	सेवा में बोई गए वर्षों का फलाद	सेवे में भर्ती किए जाने वाले वर्किटों के लिए अपेक्षित वैधिक और अन्य अवहारण
1	2	सहायक महाप्रबंधक (विपणन विस्तार)	समृद्ध क'	रु. 15600-39100 ग्रेड केतन रु. 5400	चयन पद 40 वर्ष से ऊर्ध्वक न हो	तार्ग. नहीं
						लाइसेन्स:
						वैधिकित:
						1. विषयन विकल्प/ विस्तार के बीच में चालाकत्व अंकन सनातकोपर दिली 2. सर्वोक्तु बैन में उर्वर्त उर्वर्त एक टी से दिली या विकल्प 3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का समूर्ण ज्ञान 4. कम्पनीसे नैवर्त वर्तने का ज्ञान

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियमित तारीख भारत में अवधिकारी से लिना) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की कई अनियंत्रित होती हैं।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दस्ता में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख वह जांति होती है जो नाम भेजने के लिए कहा जाता है।

## पद - 5 (अ)

सीधे भर्ती किए जाने वाले वर्किंगों के लिए विहित आयु और शैक्षिक ग्रहणारं ग्रेन्ट व्यादियों की दस में तापू होनी चाही रही	परिसिद्धि की अवधि, यदि कोई हो	प्रो-न्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दस में वे शैक्षिकों जिनसे पढ़े की प्रतितता प्रो-न्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पढ़दियों द्वारा मरे जाने वाले पढ़े की प्रतितता	संघ लोक सेवा आयोग से परमार्थ परमार्थ यदि विधायीय ग्रेन्टि समिति है तो उसकी संचाना
9	10	11	12	13
ग्रेन्टि के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हीं ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा विस्तके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	तापू नहीं	तापू नहीं
				14

- टिप्पणी: ग्रेन्टि के प्रत्यक्ष अन्त में आनेवाले अधिकारीय प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।

1. ग्रेन्टि का अन्त अन्त अन्त  
2. प्रविक्ति के लिए उत्तम  
3. निदेशक/उपकार्य विधिवादी, वारिक्ति एवं उद्देश्य  
बंगालव  
4. निदेशक, एवं  
5. केंद्रीय राज्यों के अधिकृत प्रयोग के उपकुलत्तर के अधिकृत उपकुलत्तर के अधिकृत

प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की दुसरी अवधि राज्यालय द्वारा दीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची  
पर्व - 5 (म)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधिकार पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आधिकारिक और अन्य अहतार्थ
1	2	3	4	5	6	7
संघायक महाप्रबंधक (आई मी आरएडब्ल्यू औ/टीटीबीटी)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39700 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक वाहन हो	लागू नहीं

## आवश्यक:

- प्रतिचिन्तित कृषि विकासालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- प्रतिचिन्तित विश्वविद्यालय से काम्यूनल एवं एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई
- कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव विज्ञानमें से 5 वर्षों का अनुभव ट्रेनिंग, पेटन्ट्स एवं भौगोलिक संकेतों (जी आई) इत्यादि में कानूनी पंचीकण इत्यादि में हो।
- कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान

## वास्तविक:

- कृषि उत्पाद एवं उत्पादक उत्पादों का ज्ञान
- आयात एवं नियात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियातिक तारीख भारत में अस्थियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लकड़ीप के अस्थियों से छिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के भाव्यान से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियात वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद - 5 (व)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विद्यित आयु और शाहिक अहवारं प्रान्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में कोणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाले पद्धति की प्रतिक्रिया संघ लोक सेवा आयोग से यदि विधानीय प्रोन्नति समिति है। तो उसकी संचाना
9	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये है।	एक वर्ष सकाने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पद्धति के व्यवित अथवा छ) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव
10	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकाने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पद्धति के व्यवित अथवा छ) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव
11	लागू नहीं	लागू नहीं
12	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निवेदक/उपसतिचिव वाणिज्य विभाग, भ्राताराम 4. निवेदक, एवं उद्योग 5. को-नियंत्रण सरकार के अधिकारियों के उपयुक्त स्तर के अधिकारी
13	लागू नहीं	
14	लागू नहीं	

प्रतिनियुक्ति की आवधिक अवधि एक वर्ष के लिए होती। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सालारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।

四  
五

पद का नाम	फटो की संख्या	कार्यपालक नेतृत्वात्	कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी का नाम	सेवा में जोड़े गए वर्षों का पासवार	सेवा में जोड़े गए वर्षों का पासवार विवरित होने वाले व्यक्तिमत्तों के लिए अमुदाया (प्रिंस) विवर 1972 के नियम 30 के अनुरूप होता है।	सेवा में जोड़े गए वर्षों का पासवार विवरित होने वाले व्यक्तिमत्तों के लिए अमुदाया (प्रिंस) विवर 1972 के नियम 30 के अनुरूप होता है।	
सहायक महाप्रबन्धक (फोटोविभाग)	01	प्रभावी	प्रभावी	क. 15000-30400 उत्तराखण्ड के 5400	5	40 वर्ष से अधिक न हो	लाभुकारी	लाभुकारी
1	2	3	4		6		7	7
6	7							

# आयुर्वेदिक रसोयन के लिए निर्धारित रसोयन में अवश्यक हैं (जंगली और वनस्पति रसोयन के उपचारों से हैं)। इनमें से जंगली और वनस्पति रसोयन के लिए निर्धारित रसोयन की बहुत जटिलता है। इनमें से जंगली और वनस्पति रसोयन के लिए निर्धारित रसोयन की बहुत जटिलता है।

## पद -5 (उ)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शास्त्रीय अंदाज़ और उम्र होनी चाही या नहीं	परिवेश की अवधि, यह कोई हो	प्रेनलिटि/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दृश्या में दे शोणियों जिनसे प्रेनलिटि/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियाँ द्वारा भर्ती जाने वाले पर्दों की प्रतिक्रिया	सघ लोक सेवा आयोग से सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विषयागतीय प्रैनलिटि समिति है, तो उसकी संरक्षना
9	प्रैनलिटि के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं	लागू नहीं
		10	क) समतुल्य पर्दों के व्यक्तित्व अथवा ख) संवित देवत में रु 4800 ग्रेड देवत सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुशव	11	12
		14		13	14

टिप्पणी: प्रैनलिटि के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारियाँ प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साताशतांया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुच्छेदी  
पद -६

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	वर्गन पद अथवा अध्ययन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के क्रमांक सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुच्छेद है या नहीं	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा कम्पनीय सिविल सेवा (पेशन) लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखा प्रबंधक	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लगू नहीं	आवश्यकता: वाणिज्य में लेखाशास्त्र, गणित, एवं मध्यवर्ती सीए/आईसीडब्ल्यूएसीएस सहित सानातक लिंगी एवं लेखाशास्त्र में 3 वर्षों का अनुभव अथवा लेखा के एवरेज परिक्षा में उत्तीर्ण हो और सरकारी लेखा प्रबंधन में 3 वर्षों का अनुभव अथवा लेखा परीक्षा/लेखाशास्त्र/सरकारी लेखे में 7 वर्षों के अनुभव सहित वाणिज्य में सानातकोत्तर लिंगी

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए विधायिक तारीख भारत में अध्यवधियों (अंद्रान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मीप के अध्यवधियों से छिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधारं प्रोन्ट व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं	परिशिक्षा की अवधि, यदि कोई प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में दे शोणियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया प्रोन्ट/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किसाम से	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले सच लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्ट समिति है तो उसकी संरचना
9	प्रोन्ट के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	सीधे भर्ती होना जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	लागू नहीं
10	प्रोन्ट के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	सीधे भर्ती होना जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण	लागू नहीं
11	प्रोन्ट के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति का समाप्ति वर्ष के अंतिम अंत तक समाप्त होना एवं संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड रेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
12.	प्रोन्ट के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति का समाप्ति वर्ष के अंतिम अंत तक समाप्त होना एवं संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड रेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
13.	प्रोन्ट के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति का समाप्ति वर्ष के अंतिम अंत तक समाप्त होना एवं संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड रेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
14.	प्रोन्ट के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति का समाप्ति वर्ष के अंतिम अंत तक समाप्त होना एवं संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड रेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की तुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची  
पद -7

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतमनान	चयन पद अथवा अधिकार पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (एशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षक और अन्य अंहताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8
अधिकार के कार्यालय सचिव	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड देतम रु. 4800	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) प्रतिचित्र विस्त्रितात्मय से विज्ञान/कला/वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री ।</li> <li>(2) प्राचिक सेक्टर उपकरण या खाति प्राप्त किसी नियमी कंपनी के मुख्य कार्यालय/विभाग कार्यालय के नियमी सचिव के रूप में तत्समान स्तर पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव एवं आष्टुलिपि में 120 राष्ट्र प्रति मिनट</li> <li>(3) अंग्रेजी में अच्छी प्रवीणता रखता हो और विस्तार से नेमी प्राचार को समालने में समर्थ होना चाहिए ।</li> </ul> <p>बांकीय तदन्तस्थ स्तर पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव</p>

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अधिकारियों (अदमान और निकोबार द्वीप और लद्दाखिप के अधिकारियों से बिन्दु) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अन्तिम तारीख होनी ।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

## पद-7

सीधे भर्ती किए जाने वाले चाक्सियों के लिये एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	परिवेश की अवधि, यदि कोई भर्ती हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/साथानांतरण भर्ती की लक्षा में वे श्रोतियों जिनसे— प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/साथानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भर्ते जाने वाले पर्वे की प्रतिवेता	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भर्ते जाने वाले पर्वे संघ लोक सेवा आयोग से यादि विभागीय प्रौन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	एक वर्ष प्रतिनियुक्ति के लिये है।	10 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये है।	11 प्रोन्नति भर्ती के लिये न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा	12 प्रतिनियुक्ति के लिये न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/अवधि के बिल्कुल कार्यपालक/अवधि के बिल्कुल कार्यपालक के पद पर काम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा
				13 वर्ष प्रतिनियुक्ति के लिये न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा

प्रतिनियुक्ति की आवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साथानांतरण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुमोदी  
पद -४

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	विवरणमान	चयन पद अथवा अवधन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबद्धता के लिए आयु सीमा के अधीन विवित सेवा (प्रश्न) विषय 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश हो या नहीं	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबद्धता के लिए आयु सीमा के अधीन विवित सेवा (प्रश्न) विषय 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश हो या नहीं
लेखापाल	03	समूह 'C'	रु. 9300-34800 ग्रेड टेटन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक:
1	2	3	4	5	6	7	8

- वाचनीय  
सरकारी लेखा प्रबंधन प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव एवं लेखापालिका एवं आई सी डब्लू. ए के सदस्य

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियमित तारीख भारत में अस्थिरियों (अंदमान और निकोबार दीप और लकड़ीप के अस्थिरियों से शिल्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अन्तिम तारीख होगी।  
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवस्थाएँ प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लानु होंगी	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो।	प्रोन्नतिप्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रतिवाचा की दशा में लाना होगी किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भर्ती जाने वाले पदों की प्रतिवाचा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भर्ती जाने वाले पदों से सघ लोक सेवा अधिकार से यदि विभागीय प्रान्तीति समिति है तो उसकी सरचना
9	10	11	12	13
14				

प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा 50% भीड़ी भर्ती द्वारा वितरके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति	सघायक कार्यपालक(ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अथवा सहायक/कार्यपालक/नियन्त्रक के पद पर वेतनिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव अथवा सहायक/कार्यपालक के पद पर वेतनिक वर्षों का अनुभव वहाँ ताकि इस पर लेखाचान्त में डिप्री/विलोपा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अधिकारी 2. नियन्त्रक, एपीजी 3. वायिज्ञ विभाग के प्रतिनियुक्ति 4. सारिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्यिक व प्रशा.), एपीजी 5. केंद्रीय सचिवर के अधिकारी प्रबों के उपयुक्त स्तर के अधिकारी
प्रतिनियुक्ति एवं प्रतिवाचा के लिये नहीं हैं।		अवधि के लिये नहीं हैं। अधिकारी प्रतिवाचा के लिये नहीं हैं।	अवधि के लिये नहीं हैं। अधिकारी प्रतिवाचा के लिये नहीं हैं।		

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक वारीय और लक्षणों (आदेशान् और नियन्त्रियों से जिन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, अद्युतीम अवधारित करने के लिए नियन्त्रक वारीय होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम बेजने के लिए काफ़ी गया है।

पद -9

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शोधिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। या नहीं।	परिचक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे शोधियों जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की प्रतिता	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों से वाले पदों संघ लोक सेवा आयोग से यदि विधायी प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संख्या	
		10	11	12	13
आयु-नहीं। शोधिक अहंता-है।	दो वर्ष	(1) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा  प्रतिनियुक्ति की अवधि, यदि कोई हो	(1) सहायक कार्यपालक(इंडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव  (2) सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/नकाद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं।  1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव, एपीजी 3. महाप्रबंधक 4. प्रधारी समूह 'क' अधिकारी (कार्मिक व प्रशासा), एपीजी 5. कोन्सियर सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव, एपीजी 3. महाप्रबंधक 4. प्रधारी समूह 'क' अधिकारी (कार्मिक व प्रशासा), एपीजी 5. कोन्सियर सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरक्षिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची  
पद -10

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवनगरी	बधान पद अथवा अवधान पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अफेक्ट शैक्षिक और अन्य अहताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अफेक्ट शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7
कार्यपालक अधिकारी/इडीपी प्रोग्रामर	02	समूह 'छ'	रु. 9300-34800 ग्रेड देवन रु. 4200	बधान पद चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो लागू रही	आवश्यकः 1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हो । 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ उद्योगाद संस्थान से एक वर्ष के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा बेस सीनेजेमेंट सिस्टम में अत्यकालिक प्रश्नक्रम । 3. संवेचनात्मक बात बेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए धैर्यी उत्तमादात्मक भाषा में प्रोग्रामिंग का तीन वर्ष का अनुभव विस्तर में से चूनातम एक वर्ष कंप्यूटर पर हो ।

# आयु शीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारिख 'भारत में अध्यार्थी (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षदीप के अध्यार्थीयों से गिन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम तभी गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुशीमा अवधारित करने के लिए नियम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए काहा गया है ।

पद -10	<p>सेवा भर्ती किए जाने वाले परिवेक्षकों की अवधि, यदि कोई प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में दो श्रोतियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती होश मरे जाने वाले पदों की प्रतितता</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परमार्थ</p>	<p>यदि विधायीय प्रैन्टन्टि समिति है, तो उसकी संचाचा</p>
9	<p>प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये ही !</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती होश की दर्द विसर्के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण विसर्के न हो सकने पर सीधी भर्ती होश</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती होश के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुबव</p>	<p>1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीजा 3. सचिव/सचावी महाप्रबोधक(कार्यालय व प्रशासा), एपीजा 4. को-क्षेत्रीय सचिवार के अधिकारि प्रत्यन्ते के उपर्युक्त सचिव के अधिकारि</p>
10	<p>प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये ही !</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती होश की दर्द विसर्के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण विसर्के न हो सकने पर सीधी भर्ती होश</p>	<p>कार्यालयक(इंडिपेन्डेंट) के पद पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण विसर्के न हो सकने पर सीधी भर्ती होश</p>	<p>लागू नहीं</p>
11				
12				
13				
14				

प्रतिनियुक्ति की आधिकारिक अवधि एक वर्ष के लिए होती। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सावधानतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।

पद्म - ११

四

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अधिकारी अधिकारी पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आमु सीमा व्यक्तियों के लिए आमु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आमु सीमा (प्रिंसिप) नियम 1972 के विषय 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं	लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8
फील्ड अधिकारी	04	साहू 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक:

# आउ तीमा अवधारित करने के लिए निर्वाचक लोहित काष्ठ में अवधियों (उदाहरण और नियोजन द्वारा संबद्ध होगी) से अवधियों से भिन्न) से अवधेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अवधित तरिका होगी। रोजगार कार्यालयों के यात्राम से जी जाने वाली अवधियों को इस तरिका से अवधित करने के लिए नियमित तरिका होगा। अवधित करने से काम बेचने के लिए कास्ट है।

\* वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर फ्रेड देसम 4500/- चारोंसा !

सीख भर्ती क्रिएट जनने करने वाली अवधि, यदि कोई परिवेशकों की अवधि, यदि हो।	प्रतिनियुक्ति/साधानांतरण भर्ती की दस्ता में वे ग्राहियों लिस्ट से प्रतिनियुक्ति/साधानांतरण किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति/साधानांतरण भर्ती की दस्ता में वे ग्राहियों लिस्ट से प्रतिनियुक्ति/साधानांतरण किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति/साधानांतरण भर्ती की दस्ता में वे ग्राहियों लिस्ट से प्रतिनियुक्ति/साधानांतरण किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परमार्थ	यदि विभागीय प्रान्त सामान्त है, तो उसकी सरकारी
9	लागू नहीं	दो वर्ष	सीखी भर्ती क्रिएट न हो सकने पर प्रोन्ति द्वारा कार्यालय कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में क्रम से क्रम 3 वर्षों का अनुबंध से	लागू नहीं	लागू नहीं
10				लागू नहीं	लागू नहीं
11				लागू नहीं	लागू नहीं
12				लागू नहीं	लागू नहीं
13				लागू नहीं	लागू नहीं
14					1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीज 3. सचिव/प्रमाणी महाप्रबोधक(कार्यालय व प्रशा.), एपीज 4. केन्द्रीय सरकार के अधिकृत प्रर्णा के उपर्युक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साथागतवा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

#### अनुच्छेद

पद - 12

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अध्यक्ष अवधन पद	सीखी भर्ती क्रिएट जनने वाले व्यक्तियों के लिए अनु सीमा केन्द्रीय सिविल सेवा (प्रेसो) विषय 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं	सीखी भर्ती क्रिएट जनने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकृत शास्त्रीय और अन्य अधिकृत लातकोत्तर डिफी।
वरिष्ठ कार्यपालक	04	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	चयन पद	35 वर्ष से अधिक हो	लागू नहीं

# आनु सीमा अवधारित करने के लिए निर्धारित भास्तु में अन्यविधियों (अवधारन और लातकोत्तर द्वारा) से शिल्पी से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अधिकृत तारीख होगी।

प्रेषणीय कार्यवालयों के दस्ता में, आपकीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक शेषांतर कार्यवालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्रेड वेतन रु. 4600/- परिवर्तित हो जायेगा।

पद -12

सीधे पर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के सिए विहित अनु और सीधिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिशिक्षा की अवधि, यदि कोई हो प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर्ती की दशा में वे श्रोणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा मरे जाने वाले पर्वों की प्रतितता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा मरे जाने वाले पर्वों की प्रतितता	प्रोन्नति भर्ती द्वारा मरे जाने वाले पर्वों की प्रतितता	संघ लोक सेवा आयोग से प्रामार्श	संघ लोक सेवा आयोग से प्रामार्श	यदि विधायीय प्रीन्टिंग लाभित है तो उसकी सरकार			
9	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी पर्ती द्वारा	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/कठिन अनुबोधक/कार्यपालक/कठिन अनुबोधक/कार्यपालक/कठिन अनुबोधक के पद पर नियमित सेवा भी कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।	अध्यक्ष के वरिष्ठ देयक्रियक कार्यपालक/विशिष्ट देयक्रियक कार्यपालक/कठिन अनुबोधक/कार्यपालक/कठिन अनुबोधक के पद पर नियमित सेवा भी कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।	10	11	12	13	14

प्रतिनियुक्ति की आधिकारिक प्रतिनियुक्ति के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूचा  
पद -13

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	बयन पद अधिकार अवधान पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुद्देश्य है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक शैक्षिक और अन्य अहताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक और अन्य अहताएँ	
कार्यपालिय कार्यपालक	08	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	बयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक:	

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख शास्त्र में अन्यथियों (अंद्रानां और निकोबार दीप और लक्षदीप के अन्यथियों से छिन्न) से अवधारन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कर्ता यथा है ।

## पद-13

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधारे प्रोन्त्र व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्त्रति होगा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण होगा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाले पद्धतों की प्रतितता	प्रोन्त्रति भर्ती की दशा में देशीयों जिनसे प्रोन्त्रति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उसकी सख्ता
प्रोन्त्रति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये है।	दो वर्ष	75% प्रोन्त्रति 25% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण	सहायक कार्यपालक/नकद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुबव	लागू नहीं	1. सामिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्यालय के प्रभारी), एवं 3. महाप्रबंधक 4. कार्यिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केंद्रीय सरकार के अधिकारि प्रवर्ग के उपचुक्त स्तर के अधिकारी
9	10	11	12	13	14

प्रतिनियुक्ति की आवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साथारात्रा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गकरण	वेतनमान	चयन पद अध्यवा अध्ययन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अवहारे
1 वारिष्ठ वैयक्षिक कार्यपालक	06	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	ताणू नहीं

- उपायक्रमः
1. किसी भी विषय में सातक छिपी ।
  2. आशुलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट प्रविणता ।
  3. आशुलिपिक के पद पर नियमित सेवा में 3 वर्ष का अनुभव ।

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तरीख भारत में अध्यक्षियों (अद्वान और निकोबार दीप और लकड़ीप के अध्यक्षियों से गिना) से आदेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियायिक वह अतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -14

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधारं प्रेन्ट व्यक्तियों की दशा में लागू होती है।</p> <p><b>परिवेक्षा की अवधि, गदि कोई हो</b></p> <p><b>प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।</b></p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रेन्टति द्वारा या प्रेन्टति की दशा में वे ग्रेडिंगों द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता</p> <p><b>प्रेन्टति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।</b></p>	<p>प्रेन्टति भर्ती की दशा में वे ग्रेडिंगों द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता</p> <p><b>प्रेन्टति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।</b></p>	<p>प्रेन्टति भर्ती की दशा में वे ग्रेडिंगों द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता</p> <p><b>प्रेन्टति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।</b></p>	<p>प्रेन्टति भर्ती की दशा में वे ग्रेडिंगों द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता</p> <p><b>प्रेन्टति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।</b></p>
9	10	11	12	13
प्रेन्टति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।	लो रब्ड	प्रेन्टति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता	देवालिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुबंध	लागू नहीं
प्रेन्टति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हाँ ।	लो रब्ड	प्रेन्टति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिता	देवालिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुबंध	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सालारणतया तीन वर्ष से आधिक नहीं होगी।

अनुच्छेदी  
पद -15

पद का नाम	पदों की संख्या	बर्गक्रम	वेतनमान	स्थान पद अथवा अवधान पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सिविल सेंयर (पैकेज) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुच्छेद है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आहताएँ
1	2	3	4	5	6	7
कानूनिक हिन्दी अनुवादक	01	समूह 'य'	₹. 9300-34600 ग्रेड वेतन रु. 4200	वेतन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं
						आवश्यक:
						किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/ ऐकात्मिक विषय के लिए या में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिप्लोमा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य विषय के लिए में हिन्दी/ अंग्रेजी के साथ बैचलर डिप्लोमा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कठीय सरकारी राज्य सरकार के कार्यालयों में, वित्तके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख भारत में अधिकारियों (अद्वान और निकोडार दोप और लक्ष्मीप के अधिकारियों से खिल्ली) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अनियम लागिए हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दस्ता में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख वह अंतिम तारीख होती है जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहमताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिसीधा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति होगा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण होगा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रोणियों द्वारा ग्रहणनीति किया जाएगा जिनसे प्रोन्नति संरचना तो उसकी संरचना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विचारणीय प्रैन्टिंग समिति है तो उसकी संरचना
9	आयु-नहीं शैक्षिक अहमता-हैं ।	दो वर्ष	प्रोन्नति होगा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती होगा	(1) सहायक कार्यपालक(इंजीनीर) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव (2) सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/लकड़ कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
10	आयु-नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति होगा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के समावलम्ब पर्याप्त करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	(1) सहायक कार्यपालक(इंजीनीर) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव (2) सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/लकड़ कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	13
11	आयु-नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति होगा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के समावलम्ब पर्याप्त करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	(1) सहायक कार्यपालक(इंजीनीर) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव (2) सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/लकड़ कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव	14

टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष काम में आनेवाले अधिकारीण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।

पृष्ठ - ७३

प्रतिनियुक्ति की आधिकारिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	दर्गाकरण	वेतनमान	चयन पद अधिकारी अधिकारीन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधा व्यक्तियों के लिए आयु सीधा 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबाह के द्वारा विविध सेवा (प्रश्न) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
अधिकारीका नाम	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लगू नहीं	आवश्यक:
वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री ।</li> <li>2. अप्रूवेखन में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट प्रवीणता ।</li> <li>3. समतुल्य पद पर नियमित सेवा में 3 वर्षों का अनुभव ।</li> </ol>

# आयु सीधा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अधिकारीयों (अंदमान और लद्दाख के अधिकारीयों से बिना) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम तारीख होगी। आयु सीधा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पट - 16

सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों के हिए विहित आशु और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लाना हो।	परिक्षा की अवधि, यदि कोई व्यक्ति भर्ती की दशा में वे श्रोणियों या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रोणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सब लोक सेवा आयोग से यदि विषयाग्रीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 नहीं	10 दो वर्ष	11 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	देवाक्षिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुभव
14	12 लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव।	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रमाणी महाप्रबंधक(कार्यिक व प्रशा.), एडिडा 3. महाप्रबंधक 4. कार्यिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रशासी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आवश्यक प्रत्याने के उत्प्रयत्न स्तर के अधिकारी
		दिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष फ़ास में आनेवाले अधिकारीयों प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	

प्रतिनियुक्ति की आंशिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अध्यन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा के प्रतीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्यपालक (ईडीप)	04	समूह 'B'	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2800	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लगू नहीं	<p><u>आवश्यक:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रतिचिन्ता विद्यालय से विज्ञान/गणित/ कम्प्यूटर में सनातक डिप्लोमा एवं विद्यविद्यालयसम्मान से कम्प्यूटर में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।</li> <li>कम्प्यूटर प्रबलमों में कम से कम दो वर्षों का संबंधित अनुभव।</li> </ol> <p><u>वार्षिकीय:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>चेडलिट, आर.डी.डी.एस.एस प्रांतस्तरण सोफ्टवेयर कार्ये एवं यूनिक्स/लेन का कार्यसाधक ज्ञान</li> </ol>

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अस्थायियों (अदम्यन और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थायियों से गिरन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

## पद -17

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधारण प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में तापू होनी या नहीं	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्ति दशा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिवर्ती	प्रोन्ति भर्ती की दशा में वे श्रोतियों जिनसे प्रोन्ति किया जाएगा संघ लोक सभा आयोग से परमर्श	यदि विभागीय प्रान्तीति समिति है, तो उसकी संस्थना
प्रोन्ति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हीं ।	दो वर्ष	प्रोन्ति दशा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा  प्रतिनियुक्ति का समातुल्य पदों के व्यक्ति अवधा	सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/निवार कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 3 वर्षों का अनुबद्ध  3. भारतप्रबन्धक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रशासी अधिकारी 5. केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारि प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रशासी महाप्रबन्धक(कार्मिक व प्रशा.), एवं इति
9	10	11 प्रोन्ति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हीं ।	प्रोन्ति दशा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा  इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 3 वर्षों का अनुबद्ध ।  टिप्पणी: प्रोन्ति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारियां प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 लापू नहीं  13 लापू नहीं  14

प्रतिनियुक्ति की आंतरिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**अनुसूची**  
पद - 18

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनामान	चयन पद अध्यात्म अवधान पद	सीधी मर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1 <b>वैयक्तिक कार्यपालक</b>	2 09	समूह 'A'	रु. 5200-20200 ग्रेड देतन रु. 2400	चयन पद (दोनों शासित)	18-25 वर्ष (दोनों शासित)	लागू नहीं	आवश्यक: 1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री एवं आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट प्रवीणता।

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और निकोबार द्वीप के अस्थायियों से शिन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।  
# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधियां प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ते जाने वाले पद्धति की प्रतिक्रिया	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है तो उसकी संस्थाना	
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लगू, नहीं	लगू, नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रोन्नति का अध्यक्ष-निदेशक</li> <li>सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्यिक व प्रशा.), एवं इ.</li> <li>महाप्रबंधक</li> <li>कार्यिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी</li> <li>केन्द्रीय सरकार के आपित प्रवाग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</li> </ol>

अनुच्छेदी  
संख्या-३३

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	बधान पद अधिकारी अध्ययन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुच्छेद है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
१	२	३	४	५	६	७
१३	सहायक कार्यालयक	समूह 'ग'	रु. ५२००-२०२०० प्रेड रेतन रु. २४००	बधान पद	१८-२५ वर्ष (दोनों शामिल)	लागू नहीं

आवश्यक:

- विकसी भी विषय में स्नातक डिग्री
- केन्द्रीय/स्वायत्र/नियमी सेवा में अनुमानितीय कार्य करने में कम से कम १ वर्ष का अनुभव।
- कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान।

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख भारत में अन्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अन्यर्थियों से बिल) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।  
# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तारीख वह अन्तिम तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए कहा गया है।

पद -19

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अन्य और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लाए जानी चाहिए।	परिविका की अवधि, यदि कोई व्यक्तियों के लिए विहित अन्य और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लाए जानी चाहिए।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होती है। या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे शोणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सच्च लोक सेवा आयोग से प्रशासनीय प्रशासनीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरचना	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कठिनाइ सहायक कार्यालय के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुबन्ध जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>समिति का अध्यक्ष-निदेशक</li> <li>सचिव/प्रमाणी महाप्रबंधक(कार्यालय व प्रशासा), एवं</li> <li>महाप्रबंधक</li> <li>कार्यिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रमाणी अधिकारी</li> <li>केन्द्रीय सरकार के अधिकारी प्रशाके उपयुक्त स्तर के अधिकारी</li> </ol>

प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति के फूल अतिविधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक चाही होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	उपाधिकरण	वेतावधन	चयन पद अधिकारी अधिकारी पद	लौही भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेश है या नहीं	सेवी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकृत शैक्षिक और अन्य अहिताएं संभालने का दो वर्ष का अनुदेश।
नफन्द कार्यपालक (रोकड़िया)	01	समूह 'ग'	रु. 5200-20200 प्रेड बेहत रु. 2400	चयन पद (दोनों शाखियाँ)	18-25 वर्ष	लागू नहीं	आवश्यक: 1. वाणिज्य में स्नातक 2. किसी खातिराव संगठन में रोकड़ संभालने का दो वर्ष का अनुदेश।

# आयु सीमा अवधिरित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थाईयों (अद्वान और निकोबार दीप और तासदीप के अस्थाईयों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधिरित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

## पद-20

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लाए जानी होंगी।	परिचक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिक्रिया।	प्रोन्नति भर्ती की दशा में देशीणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरचना
9	प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हौं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कानिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
10		11	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कानिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
12		13	प्रतिनियुक्ति का समर्त्य पदों के व्यवस्था	कानिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं
14			प्रतिनियुक्ति का समर्त्य पदों के व्यवस्था	कानिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।

अनुसंधान  
पद -21

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहतार अनुबंध है या नहीं
१ कविनेष्ठ सहायक कार्वाचारक	२ १६	समूह 'पा'	५२०००-२०२००० ग्रेड वेतन रु १९००	४ ६ चयन पद (दोनों शाखाओं)	५ ६ १८-२५ वर्ष (दोनों शाखाओं)	७ ८ लागू नहीं लागू नहीं
# आयु सीमा अव्यासित करने के लिए निर्णायक तरीके भारत में अन्यथियों (उदाहरण और निकोबार दीप और लक्ष्मीप के अभ्यर्थियों से लिए) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अल्पिम तारीख होगी।	२ आवश्यक संघर्ष विभाग से स्थानक या समतुल्य दिग्भी ३. कम्पनी टंकण ३५ शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी टंकण ३० शब्द प्रति मिनट	३. कम्पनीों में कार्य करने का आनंद ४. आवश्यक:	१. मान्यताप्राप्त विभागितात्व से स्थानक या समतुल्य दिग्भी २. अंग्रेजी टंकण ३५ शब्द प्रति मिनट	५. अथवा हिन्दी टंकण ३० शब्द प्रति मिनट	६. कम्पनीों में कार्य करने का आनंद ७. आवश्यक:	८. आवश्यक तारीख होगी।

पद -21

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विविहित आयु और शैक्षार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आपसीना अव्यासित करने के लिए निर्णायक तरीके वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया
पद -21
सीधी भर्ती की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रान्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानानावरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिवर्ती या नहीं

नियुक्ति की अवधिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि राष्ट्राभ्यरुद्धा रीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद - 22

-22

# आइ सिंहा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भावत में अस्थाईयों (अद्वानान और लक्षणीय के अस्थाईयों से जिन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होती ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहवाल प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लगू होगी या नहीं	परियोग की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिवर्तता	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रमिकों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सच्च तोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संस्थाना
9	10	11	12	13	14
आयु-नहीं शैक्षिक अहवाल-हीं ।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा पास चालक के लिए अहवाल है ।	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्यिक व प्रशा.) एप्डा 3. महाप्रबंधक 4. कार्यिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के उपचुक्त स्तर के अधिकारी

साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती। प्रतिनियुक्ति की कृत अवधि प्रतिनियुक्ति के लिए होती। आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होती।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनमान	चयन पद अधिकार	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पंचान) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुबंध है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कारबद्ध अधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जमादार	01	समूह 'घ'	रु. 4440-7440 ग्रेड वेतन रु. 1400	चयन पद	18 वर्ष से कम न हो	लागू नहीं	आवश्यक:	आवश्यक स्तर तक पढ़ाई ।

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अध्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लख्नऊ के अध्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम तारीख होगी। प्रतिनियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

## पद -23

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विद्यित आयु और शैक्षिक अवधारणे प्रोन्तु व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्तु द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती वाले पदों की प्रतिवृत्ति	प्रोन्तु भर्ती की दशा में वे श्रोतियों या प्रोन्तु किया जाएगा	प्रोन्तु भर्ती की दशा में वे श्रोतियों या प्रोन्तु किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्तु समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	दो वर्ष	प्रोन्तु द्वारा विसर्के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चपरासी के पद पर कम से कम चार वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-सचिव 2. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रमाणी अधिकारी 3. अध्यक्ष द्वारा नामित समूह 'क' के अधिकारी 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्गों के उपचुन्क स्तर के अधिकारी
11	12				13	14	

प्रतिनियुक्ति की आंतिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवतन्त्रमान	चयन पद अधिकार	चयन पद अधिकार	सीधी भर्ती किए जाने वाले वर्षों का फायदा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दफतरी	01	समूह 'ध'	रु. 4440-7440 प्रेड देवतन रु. 1400	चयन पद	18 वर्ष से कम न हो	लागू नहीं	आवश्यक:	आवश्यक स्तर तक पर्वाई।

# आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियाचक तारीख भारत में अन्यधिकारी (अंदमान और निकोबार द्वीप और लकड़ीदीप के अधिकारी से शिन) से आदेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के मध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दस्ता में, आपुरीमा अवधारित करने के लिए नियाचक तारीख वह अतिम तारीख वह अतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वित्ति आयु और शैक्षिक अवधारित स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलिपा	परिवेश की अवधि, यादि कोई हो	परिवेश की अवधि, यादि कोई हो	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे शोणियों या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलिपा	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे शोणियों या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलिपा	सघ लोक सेवा आयोग से प्रशासनीय प्रशासनीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	सघ लोक सेवा आयोग से प्रशासनीय प्रशासनीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	पद 24
9	10	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-सचिव
नहीं							2. कार्यिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की तुल अपवृत्ति साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	राजकारण	देवनगरी	चयन पद अधिकारी अवैयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आम सीमा व्यक्तियों के लिए आम सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) लियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुदेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए �अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
चपरासी	13	समूह 'घ'	रु. 4440-7440 ग्रेड देवन रु. 1300/-	चयन पद	18 वर्ष से कम न हो	लागू नहीं	आवश्यक:

■ आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अधिकारियों (अद्वान और निकोशर दीप और लक्ष्मीप के अधिकारियों से बिना) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

## पद 25

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई प्रतिनियुक्ति देवनगरी भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रान्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिनियुक्ति की अवधि, यदि कोई हो तो उपर्युक्ती संरचना	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रापियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति है, तो उपर्युक्ती संरचना
9	10	11	12
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति की आवधिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधिक अवधिकारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अस्तित्व विधारी, अवधिकारी

[विज्ञापन III/4/166/11/असा.]

**AGRICULTURE AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (APEDA)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2011

No. APEDA/Admin./REC/25/2001.—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub section 3 of section 7 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986) the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to the Group A,B,C and D posts in the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, namely:-

**1. Short Title and Commencement**

- (i) These regulations may be called Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, (Recruitment) Revised Regulations, 2011.
- (ii) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

**2. Initial Constitution**

All the existing regular employees on the roles of APEDA on the date of commencement of these regulations shall be deemed to be appointed under these regulations and their period of service of regular appointment shall be admissible for all service matters.

**3. Definitions**

Unless the context otherwise requires:

- (i) “Act” means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);
- (ii) “Appointment” include direct recruitment, appointment by promotion and through any other prescribed method;
- (iii) “Chairman” means the Chairman of APEDA appointed by the Central Govt.
- (iv) “Authority” means Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority established under section 4 of the Act;

**“Appointing Authority”**

- (i) For all the posts carrying - Grade pay not exceeding Rs.7600/- upto the level of General Manager - Chairman
- (ii) Director - Chairman with the approval of the Central Government
- (iii) Secretary - Chairman with the approval of the Central Government
- (iv) **“Departmental Candidate**  
All the eligible employees in the line of promotion.
- (v) **“Departmental Promotion Committee”** or DPC means the committee constituted to consider cases for promotion of those employees who have

completed the required years of service and who are otherwise eligible for promotion. The composition of the DPC will be as indicated in Column.14 of each post in the Schedule.

Deputation means borrowing the services from Central/State Government/ Public Sector Undertakings/Autonomous bodies, as per the rules prescribed in this regard by the Central Government.

- (vi) “**Direct Recruitment**” means recruitment by calling the candidate from Employment Exchange/ inviting applications through advertisement/entertaining applications from the Authority’s eligible employees.

Provided that a written test may be prescribed wherever deemed necessary by the Chairman as part of the process of direct recruitment. The Authority’s employees, if recruited will be treated as direct recruits for the purposes of recruitment and will be governed by the Central Government rules regarding counting of past service.

- (vii). “Employee” means any person in regular service and holding any of the posts specified under column 1 of the schedule attached herewith.
- (viii) “Government” means the Central Government;
- (ix) “Pay” means the pay as defined under the Fundamental Rules and Supplementary Rules;
- (x) “Schedule” means the Schedule to these Regulations;
- (xi) “Service” - means in the regular service with the Authority
- (xii) “Regulations” means regulations made under the Act.
- (xiii) “Rules” means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules 1986 and any other rule made under the Act.

#### **4. Application**

These regulations shall apply to all the posts specified under column 1 of the Schedule attached to it.

#### **5. Scale of Pay, qualification, method of Recruitment**

The scales of pay attached to different posts in the service, the minimum qualifications required for recruitment to the posts and the method of recruitment shall be as specified in the Schedule.

#### **6. Reservations, Relaxations, etc. in respect of certain categories of persons**

Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBC and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**7. Power of Appointment**

- (1) All appointments except that of Chairman, Director and Secretary shall be made by the Chairman
- (2) The Chairman shall be empowered in urgent cases and to meet exigencies of work, to make adhoc appointments to a vacancy without the selection being made by the Selection Committee if such vacancy is in a post carrying a Grade pay, the maximum of which does not exceed Rs.7600/- p.m. and such appointments shall be for a period not exceeding 90 days at a time or one year in aggregate or till the appointment or promotion to such post is made in accordance with these Rules, whichever is earlier.

**8. Relaxation**

Where the Chairman is of the opinion that it is necessary to do so, he may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Recruitment Rules with respect to persons of Group D, C and B category of posts. However, for Group A posts, any relaxation in the provisions of these rules shall be made only with the prior approval of the Central Government.

**9. Dis-Qualification**

No person -

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living
- b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the posts.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- c) who have been punished by any court of law of the land for any criminal act which otherwise debar any incumbent to hold any post in Government service under the rules.

**10. Interpretation**

Proposed - if any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

**11. Repeal**

Proposed - Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Recruitment Regulations, 2001, notified under GSP - 119 dated 4.5.2001 are hereby repealed.

Schedule  
Post - 1

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Director	One	Group A	37400-67000 Grade Pay - Rs. 8700	Selection Post	Not above the age of 50 years	N.A.	<p><b>Essential</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Masters Degree in Science, Commerce or Business Administration</li> <li>(2) Not less than 15 years experience on senior level of Executive out of which atleast 10 years in the field of International Market Development preferably in Agri related fields.</li> <li>(3) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures</li> <li>(4) working knowledge of computer application</li> </ul> <p><b>Desirable</b></p> Degree or Diploma in Dairy Science, Meat Science, Trade / Market Development and Management.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

**Post - 1**

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	Promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment Deputation a) persons holding analogous posts or b) with at least 7 years experience in GP-7600.	Secretary/ General Manager with not less than 7 years regular service on the post	N.A.
<b>No for promotes &amp; Yes for Deputation</b>	<b>One year</b>	<b>12</b>	<b>Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.</b>		<p>1. Joint Secretary of Commerce, Ministry of Commerce and Industry Looking after EP(Agri) Division as chairman of the Committee</p> <p>2. Chairman, APEDA</p> <p>3. Two members of the Authority.</p> <p>4. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.</p>

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule  
Post - 2**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of service admissible under rule 30 of CCS (pension)	Educational and other qualifications required for direct recruitment
General Manager	03	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 7600/-	Selection	Not above the age of 50 years	N.A.	(1) Masters Degree in Science, Commerce or Agriculture and business management etc. (2) With minimum 7 years regular service on a senior managerial level in Central/ State Govt./ Autonomous/ Statutory body etc. (3) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures
	1	2	3	4	5	6	7

				<b>Desirable</b>
				(1) Degree/Diploma in Food Science, Horticulture, Management and Packaging, membership of Institute of CA/ICWA/CS (2) Knowledge of agricultural produce and its products (3) Knowledge about import and export policies and procedures. (4) working knowledge of computer applications

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

<b>Post - 2</b>	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	14
9	10	Promotion failing which by transfer both by direct recruitment	Deputy General Manager with seven years regular service on the post	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority 3. Director/DS, Department of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.
No for promotion & yes for Deputation	One year	Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay Rs.6600 with seven years experience on regular service in related field.	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 2 (A)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
General Manager (IPR, WTO, Infrastructure)	One	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 7600/-	Selection	Not above the age of 50 years	N.A.	<p><b>Essential</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Masters Degree In Agriculture Science from a reputed agriculture university.</li> <li>(2) Graduation in law (LLB) from a recognized university</li> <li>(3) Fifteen years experience in the field of work related to Agricultural Science and Infrastructure related projects out of which minimum 7 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc.</li> </ul> <p><b>Desirable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Knowledge of agricultural science and its products</li> <li>(2) Knowledge about import and export policies and procedures</li> <li>(3) Knowledge about the matters related to WTO/IPR.</li> <li>(4) Working knowledge in Computer Applications</li> </ul>

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
Promotion- N.A. Deputation- Yes	One year	Direct recruitment falling by Deputation - a) persons holding analogous posts or	11	12	13

(b) persons holding posts (Grade Pay Rs.6600) with seven years experience on regular service in related field.	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.						

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 3

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Secretary	1	Group A	15000-39100 Grade Pay - 7600	Selection	Not above the age of 50 years	7	Essential 1) Masters degree in any discipline including business administration 2) Not less than 7 years regular service on the post of one stage below in Central/ State Government/ Autonomous Sector Undertakings dealing with matters relating to administration/ accounts/ finance/ legal and marketing.

<b>Desirable</b>	1) Membership of Institute of Company Secretaries of India (2) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures (3) working knowledge of computer applications (4) Degree in law
------------------	---

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

**Post - 3**

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	Promotion failing which by transfer/Deputation failing both by direct recruitment - Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay Rs.6600 with seven years regular service on the post.	12	13
No for promotion & Yes for deputation/contract	One year	Promotion failing which by transfer/Deputation failing both by direct recruitment - Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay Rs.6600 with seven years regular service on the post.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Deputy General Manager with seven years regular service.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

**The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.**

**Schedule****Post - 4**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Deputy General Manager	07	'Group A	15600-39100 Grade Pay - 6600	Selection	Not above the age of 45 years	N.A.	(1) Masters Degree in Science, Commerce or Agriculture and business management etc. (2) With minimum 5 years regular service on a senior managerial level in Central/ State Govt. / Autonomous/ Statutory body etc. (3) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures (4) Working knowledge of computer applications

<b>Desirable</b>	(1) Degree/Diploma in Food Science/Meat Science, Horticulture, Market Research and Management and Packaging, membership of Institute of CA/ICWA/CS (2) Degree in Bachelor of Law from a recognized university (3) Knowledge of agricultural produce and its products (4) Knowledge about import and export policies and procedures
------------------	---

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

<b>Post - 4</b>				
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrtt. Whether by direct Recrtt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrtt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	Asstt. General Manager with seven years regular service on the post.	13
<b>No for promotion &amp; Yes for deputation</b>	<b>One year</b>	<b>5 posts by promotion. 2 posts by Direct Recruitment failing which by transfer/deputation.</b> <b>Deputation: -</b> a) Persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay of Rs.5400 with seven years experience on regular service	<b>12</b>	<b>14</b> 1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule Post - 4 (A)						
Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972
1 Deputy General Manager (WTO, TBT, IPR)	2 01	Group A	15600-39100 Grade Pay - 6600	Selection	Not above the age of 45 years	N.A.
						<b>Essential</b>
						(1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Ten years experience in the field of work related to Agricultural Science out of which minimum 5 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc.
						<b>Desirable</b>
						(1) Knowledge of agricultural science and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures. (3) Knowledge about matters related to WTO/TBT/IPR.
						# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.
Post - 4 (A)						
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	
9	10		11	12	13	14
<b>No for promotion &amp; Yes for deputation</b>	One year	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority.	

	a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts in (Grade Pay Rs.5400/-) with 5years experience.	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.
--	--	---	---

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 4 (B)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy General Manager (Organic)	01	Group A	15600-39100	Selection	Not above the age of 45 years	N.A.	<p>Essential</p> <p>(1) Masters Degree in Science / Agriculture/Rural Management from a recognized University.</p> <p>or</p> <p>(2) Master of Business Management in the field of Agricultural/Horticultural/Organic/Rural Management.</p> <p>(3) Minimum 5 years experience on a one stage below in Central/State Govt./Autonomous/Statutory Body</p> <p>(4) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures</p> <p>(5) working knowledge of computer applications</p>

Desirable

- (1) Degree/Diploma in Food Dairy Science/Meat Science, Horticulture, Market Research and Management and Packaging.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Post - 4 (B)	
			In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC
9	10	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation/- a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay Rs. 5400/- with 5years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.
No for promotion & Yes for deputation	One year		12	13

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	14
1. Chairman as Chairman of the Committee	
2. Two members of the Authority.	
3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry	
4. Director, APEDA	
5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment	
							Schedule Post - 5	Essential
Assistant General Manager	09	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	(1) Masters degree in Commerce/ Science Agriculture/Business Management/ Administration (2) Not less than 7 years experience on a regular service at a supervisory level in central/state Govt. /autonomous bodies/public organizations. (3) Working Knowledge in Computer applications. (4) Knowledge of Import Export policy and procedure.	8

			<b>Desirable</b>
			(1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (2) Degree in Law (3) Degree/Diploma in Food Science/Meat Science, Horticulture, Market Research and Management and Packaging, membership of Institute of CA/ICWA/CS. (4) qualification with degree or diploma relating to company secretary ship

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakhsdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

<b>Post - 5</b>			
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made
9	10	11	12
No for promotion & Yes for deputation	One year	8 posts by promotion. 1 posts by Direct Recruitment failing which by Transfer/Deputation.  Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts having Grade Pay of Rs.4800/- with three years experience, Rs.4600/- with five years experience and Rs.4200/- with eight years experience on regular service	(1) With 5 years regular service on the posts of Manager Accounts and Executive Secretary to Chairman and with 8 years regular service on the posts of Field Officer, Sr. Office Executive, Accountant, Executive Officer (EDP) and Librarian  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Note at column No. 12 above: - APEDA will issue an executive direction for physical working experience of minimum one year in any outside office of APEDA head quarter prior to or on promotion to this post.

Schedule Post - 5 (A)						
Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) rule 1972
1	2	3	4	5	6	7
Assistant General Manager Horticulture (Organic)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years.	N.L.A.  In (1) Masters degree in Agriculture/Horticulture/ Business Management (in the related fields of Agriculture, Horticulture, Organic and Rural Management from the recognized university) with five years experience in related field. (2) Not less than 7 years experience on a regular service at a supervisory level in central/state Govt./autonomous bodies/public undertakings/private organizations.
						 Desirable (1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (2) Working knowledge of computer applications.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Post - 5 (A)		If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
			In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	
9	10	Direct recruitment failing which by Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	11	12	13
No for promotion & Yes for deputation	One year		N.A.	N.A.	14 1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 5 (B)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8 (1) Post Graduation in Veterinary Science/ Science/ Agriculture (with Animal Husbandry as a subject) with 5 years experience in related field. Or (2) Bachelor in Veterinary Science with not less than 7 years experience on regular service in Central/State bodies/ Govt./Autonomous P.S.U./Private Organization
Assistant General Manager (Animal Husbandry and Veterinary Science)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	

				Desirable (1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (2) Working knowledge of computer applications.
--	--	--	--	--

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and Percentage of the vacancies to be filled by various methods	Post - 5 (B)	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation With UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	
			9	10	11	12	13
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800 with five years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC	14

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule

Post - 5 (C)						
Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) rule 1972
Assistant General Manager (Food Technology)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.

**Desirable**

- (1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures
- (2) Working knowledge of computer applications.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 5 (C)			
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made
9	10	11	12
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer - a) persons holding analogous posts or	N.A.

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition

- 1. Chairman as Chairman of the Committee
- 2. Two members of the Authority.
- 3. Director/D.S., Department of Commerce, Ministry of

	b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field.	Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/WC
	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule  
Post - 5 (D)**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	Essential (1) Master Degree in Agriculture Science with specialization in Plant Pathology as a subject. Or (2) Master of Business Management in the field of Agriculture, Horticulture and Rural Management from a Recognized University. (3) Not less than 7 years experience in regular service in Central/State Govt./Autonomous bodies/P.S.U./ Private Organization.
Assistant General Manager (Plant Pathology)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Desirable (1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (2) Working knowledge of computer applications.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition		
9	10	11	12	13	14		
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation . a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC		

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule Post - 5 (E)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Desirable
Assistant General Manager (Marketing Extension)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	(1) Master Degree in Science/ Commerce / MBA (2) Not less than 7 years experience in regular service in Central/State Govt./Autonomous bodies/P.S.U./ Private Organization.  (1) Master in Business Management in the field of Market development/Extension. (2) Degree/Diploma from IIFT in the related field. (3) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (4) Working knowledge of computer applications.	Essential 8

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In Case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC		If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
				11	12	
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 6. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 5 (F)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) Rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Assistant General Manager (WTO/TBT/IPR.)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	7	N.A.
							(1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in Law (LL.B) from a recognized university (3) Ten years experience in the field of work related to Agricultural Science out of which minimum 5 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. (4) Working knowledge in Computer Applications

					<b>Desirable</b>
					(1) Knowledge of agricultural produce and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

		<b>Post - 5 (F)</b>		<b>In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made</b>	<b>Consultation with UPSC</b>	<b>If Departmental Promotion Committee exists what is its composition</b>
<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation</b>	<b>Period of Probation, if any</b>	<b>Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods</b>		12	13	14
<b>No for promotion &amp; Yes for deputation</b>	<b>One year</b>	<b>Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation -</b> a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs.4800/- with five years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Assistant General Manager (Entomology.)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential! (1) Masters Degree in Zoology with specialization in Entomology as a subject. (2) Not less than 7 years experience in a regular service in Central/State Government Bodies/P.S.U. /Private Organizations in the related field. Desirable (1) Sound Knowledge of Foreign Trade Policy and Procedures. (2) Working Knowledge in computer applications.
	1	2	3	4	5	6	7

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No to promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Manager Accounts	1	2	3	4	5	6	N.A.

Group B  
9300-34800  
Grade Pay -  
Rs. 4600  
  
Selection  
Not above the age of 40 years  
  
Or  
Pass in SAS Examination in Account with three year experience in maintenance of Govt. Accounts  
Or  
Post Graduate Degree in Commerce with 7 years experience in Auditing/ Accountancy/ Govt. Accounts

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 6

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of Committee the 2. Representative of Department of Commerce 3. Director, APEDA 4. Secretary/GM Incharge of (P&A), APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct Recruitment failing which Transfer/Deputation:	(a) Persons holding analogous posts or (b) Persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4200/- with five years experience in related field.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	12	13
				14	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 7

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Executive Secretary to Chairman	1	Group B	Rs. 34800 - Grade Pay - Rs. 4600/-	Selection	Not above the age of 35 years	N.A.	Essential (1) Master's Degree in Arts/ Science/Commerce from a recognized university. (2) Not less than 5 years experience at a corresponding level as Private Secretary to Chief Executive/ Senior Executive of Public Sector Undertaking or a Private company of repute with stenography speed of 120 w.p.m. (3) Should have good command of English and should be able to handle routine correspondence in detail Desirable: Not less than 7 years experience at a corresponding level of officers.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 7

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotes/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	100% which failing both by direct recruitment/ Deputation/ a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay of Rs. 4200/- with five years experience in related field.	Promotion failing service on the post of Senior Personal Executive / Senior Executive to Personal Chairman.	12	13
No for promotion & Yes for deputation	One year	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than 5 years regular service on the post of Senior Personal Executive / Senior Executive to Personal Chairman.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Representative of Department of Commerce 3. Director, APEDA 4. Secretary, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Accountant	03	Group B	9300-34800 Grade Pay 4200/-.	Selection	Not above the age of 30 years	N.A.	(1) Bachelors degree in Commerce with Accountancy and Mathematics as subjects (2) Minimum 5 years experience in regular service on a post with the nature of work of accounts. (3) Knowledge of computer applications
	1	2	3	4	5	6	7

**Desirable**  
Persons having sufficient experience in handling Governmental procedures and member of chartered accounts and ICWA

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Post - 8	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director, APEDA 3. Secretary/GM Incharge of (PEA), APEDA 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC
<b>No for promotion &amp; Yes for deputation</b>	Two year	50% by promotion. 50% by Direct Recruitment failing which transfer /Deputation.- a) Persons holding analogous posts or b) Persons holding with Grade Pay Rs.2800 with three years regular service and with 2400 with five years regular service on the post.	Not less than three years regular service on the post of Executive (EDP) or not less than five years regular service on the post of Assistant Executive/Cash Executive/Personal Executive subject to having degree/diploma/certificate in Accountancy and Commerce.	N.A.		

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 9

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Librarian	1	Group - B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 30 years	N.A.	<b>Essential</b> (1) Graduate with Bachelor in Library Science from a recognized university

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

## Post - 9

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
Age - No Qualification - YES	Two year	Promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) holding post one stage below with five years regular service.	(1) Not less than three years regular service on the post of Executive (EDP) 2) Not less than five years regular service on the post of Assistant Executive / Personal Executive / Cash Executive	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A Officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved categories

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Executive Officer (EDP Programmer)	02	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 30 years	N.A.	<p><b>Essential</b></p> <p>(1) Graduate in Science/Maths / Computer Science</p> <p>(2) Diploma/certificate course in computer programming and data base management system minimum for one year from a recognized university/institution of repute</p> <p>(3) 3 years experience in programming in forth generational language using relational data base management system out of which one year minimum on computers</p>
							# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

Post - 10	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, Grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	Period of Probation, if any			
No for Promotion & Yes for Deputation.	Two year	By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) persons holding one stage below post on regular service for five years in the field of IT/Data Entry	Not less than three years regular service on the post of Executive EDP.	N.A.

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 11

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule '972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Field Officer	4	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-*	Selection	Not above the age of 35 years	N.A.	<p><b>Essential</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Post Graduate Degree in Science/ Business Administration from a recognized university</li> <li>2) 3 years experience on a post having identical duties and responsibilities in a Govt./ Semi Govt./ Autonomous bodies of Central/ State Govt./ Private organizations</li> <li>3) Sound knowledge of computer applications</li> </ul> <p><b>Desirable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Food Technology/ Diploma/ Certificate in Food Technology / Agri. Science and sound knowledge of foreign trade policy and procedures</li> </ul>

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

\* Subject to change to Rs. 4600/- after getting approval of Ministry of Finance.

Post - 11

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
N.A.	Two year	By Direct Recruitment, failing which by promotion from office executive with three years regular service on the post.	N.A.	N.A.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman as Chairman of the Committee</li> <li>2. Director, APEDA</li> <li>3. Secretary/GM Incharge of (P&amp;A), APEDA</li> <li>4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC</li> </ol>

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 12

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1 Senior Office Executive	2	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-*	Selection	Not above the age of 35 years	N.A.	Essential 1) Post Graduate Degree in Science/ Business Administration from a recognized university 2) 3 years experience on a post having identical duties and responsibilities in a Govt./ Semi Govt./ Autonomous bodies of Central/ State Govt./ Private organizations 3) Sound knowledge of computer applications  Desirable (1) Food Technology/ Diploma/ Certificate in Food Technology / Agri. Science and sound knowledge of foreign trade policy and procedures

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

\*Subject to change to Rs. 4600/- after getting approval of Ministry of Finance.

Post - 12

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Pronon Committee exists what is its composition
9 No for Promotion & Yes for Deputation.	10 Two year	Promotion failing which by transfer/deputation, failing both by direct recruitment Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts one stage below with five years experience on regular service Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Senior Personal Executive to Chairman/Sr. Executive /Junior Hindi Translator / Office Executive with 3 years regular service on the post.	12	13
			Senior Personal Executive to Chairman/Sr. Executive /Junior Hindi Translator / Office Executive with 3 years regular service on the post.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director, APEDA 3. Secretary/GM Incharge of (P&A), APEDA 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 13

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Office Executive	08	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 25 years	N.A.	Essential 1) Graduate in Science/Commerce/Business Administration 2) Atleast 3 years experience in a Govt./Autonomous or a private company 3) Sound knowledge of computers applications.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

## Post - 13

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Depuration/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
0	10	11	12	13	1. Director as Chairperson 2. Secretary, (P&A)APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.
No for Promotion: ~ Yes for Deputation.	Two year	75% by promotion, 25% by direct recruitment, failing which transfer/deputation.	Not less than five years regular service on the post of Assistant Executive/Cash Executive	N.A.	The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.  Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

Schedule  
Post - 14

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Personal Executive	06	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 25 years	N.A.	(1) Bachelor degree in any discipline (2) Proficiency with 100 w.p.m. speed in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting (3) three years in regular service as a stenographer.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

## Post - 14

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	1) With five years regular service on the post of Personal Executive. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) with five years regular service in Grade Pay of Rs. 2400/-.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 15

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1 Junior Hindi Translator	2	Group B	Rs. 34000-Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 25 years	N.A.	Masters Degree of recognized university in hindi/English as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level or Bachelors degree of a recognized university with hindi/English as a compulsory subject plus a recognized/certificate course in translation from hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from hindi to English and vice-versa in Central/State Govt. offices including Govt. of India undertakings.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

Post - 15

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	By promotion failing which by transfer/ deputation both by direct recruitment. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) holding one stage below with five years regular service.	1) Not less than three years regular service on the post of EDP Executive 2) Not less than five years regular service on the post of Assistant Executive / Personal Executive / Cash Executive.	12	13
Age - No Qualification - YES	Two year	Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration	14

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Personal Executive to Chairman	1	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above 25 years	N.A.	1) Bachelor's Degree in any discipline 2) Shorthand speed with 100 w.p.m. and typewriting speed with 40 w.p.m. 3) must have three years experience on the equivalent post

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

#### Post - 16

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	With five years regular service on the post of Personal Executive.	13	14
NO	Two year	By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment.	a) persons holding analogous posts or b) with five years regular service in one stage below post	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved SC/ST/MC.

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule  
Post - 17**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Executive (EDP)	2	Group C	₹5200-20200 Grade Pay - Rs. 2800/-.	Selection	Not above 25 years of age	N.A.	Essential (1) Graduate in Science/Maths/ Computer Science from a recognized university with minimum 6 months diploma course in computer from a university/institute. (2) Two years relevant experience in computer operations Desirable 1. Working knowledge under UNIX/LAN environment and on software of work processing RDBMS and spreadsheet

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

**Post - 17**

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	By promotion failing which by transfer / deputation failing both by direct recruitment.	With three years regular service on the post of Personal Executive / Assistant Executive/Cash Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration
No for promotion & Yes for deputation	Two year	Deputation: a) persons holding analogous posts or b) with three years regular service in one stage below post	12 11	13 14	5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/W.C.

Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Personal Executive	09	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 2400	Selection	5 18 - 25 years (both inclusive)	6 7 N.A.	(1) Graduate with a speed of 80 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting.
1	2	3	4	5	6	7	8

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

**Post - 18**

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrtt. Whether by direct Recrtt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrtt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	By direct recruitment, falling transfer/ deputation.  Deputation:-	Not applicable	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A Officer In charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

<b>Schedule Post - 19</b>						
Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Executive	13	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 2400	Selection	18 - 25 years (Both Inclusive)	N.A.

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

#### Post - 19

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay, Rs. 1900/- with eight years regular service	Not less than eight years regular service on the post of Junior Assistant Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer In charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.
<b>No for promotion &amp; Yes for deputation</b>	<b>Two year</b>			<b>13</b>	<b>14</b>

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 20

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Cash Executive (Cashier)	1	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 2400	Selection	18 - 25 years (Both inclusive)	N.A.	(1) Graduate in commerce (2) 2 years experience in handling cash in a reputed organization

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

**Post - 20**

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	Promotion failing which by transfer/ deputation failing both by direct recruitment Deputation:- a) Persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay, Rs. 1900/- with eight years regular service	Not less than eight years regular service on the post of Junior Assistant Executive.	12	13
<b>No for promotion &amp; Yes for deputation</b>	<b>Two year</b>		<b>Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.</b>	<b>14</b>	<b>1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.</b>

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**मनेजरी  
Post - 21**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1 Junior Assistant Executive	2	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 1900	Selection	6 18 - 25 years (Both inclusive)	7 N.A.	8 (1) Bachelor Degree or equivalent (2) English typing speed of 35 w.p.m. or 30 w.p.m. in Hindi (3) Working knowledge of computer operation

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 21			
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10 N.A.	Two year By direct recruitment	13 N.A. 1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A Officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A Officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC
			14

1498 GI/11-14

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule**  
Post - 22

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	
Driver	O2	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 1900	Selection	18 - 25 years (Both inclusive)	N.A.	Essential (1) VII Standard (2) Should be in possession of a valid Driving License (3) 2 years experience as Driver (4) Should have good vision and not suffering from colour blindness

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

## Post - 22

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation / Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.
Age - no Qualification - yes	Two year	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Group 'D' staff having acquired the qualification for Driver	N.A. *	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 23

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Jamadar	1	Group D	4440-7440 Grade Pay - Rs. 1400/-	Selection	Not less than 18 years	N.A.	VIII standard passed

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

## Post - 23

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation / Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
NO	10 Two year	11 By Promotion failing which by direct recruitment	12 Not less than four years experience as Peon	13 N.A.	1. Secretary as Chairperson 2. Group A officer in charge of Personnel Administration 3. Any other Group A officer as nominated by Chairman 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 24

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Daftry	1	Group D	4440-7440 Grade Pay - 1400	Selection	Not less than 18 years	N.A.	VIII standard passed

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 24

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
NO	Two year	By Promotion	Not less than four years experience as Peon	N.A.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretary as Chairperson</li> <li>2. Group A officer in charge of Personnel Administration</li> <li>3. Any other Group A officer as nominated by Chairman</li> <li>5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.</li> </ol>

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule  
Post - 25

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
Peon	13	Group D	4440-7440 Grade Pay - Rs. 1300/-.	Selection	Not less than 18 years	N.A.	VIII standard with Robust health and should be able to read and write Hindi and English

# The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submits the names.

Post - 25

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recrt. Whether by direct Recrt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recrt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
NO	10 Two year	11 By direct recruitment	NA	12	13 1. Secretary as Chairperson 2. Group A officer incharge of Personnel Administration 3. Any other Group A officer as nominated by Chairman 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/NC.
					14

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

ASIT TRIPATHY, CHAIRMAN, APEDA

[No. ADVT. III/4/166/11/Exty.]